न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 54/2014/75 एलआर एक्ट

राजेन्द्र कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2014 न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा अनवानी मुखराम बनाम राजेन्द्र कुमार मे मंजूर किये गये रास्ता को निरस्त करवाने बाबत

उपस्थित :–

श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –24.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत शर्त 8(2) कोलो0 एक्ट सामान्य शर्त के तहत प्रस्तुत कर रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र रेस्पो0 स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की मौरूसी खातेदारी भूमि है जिस पर शर्त 8(2) कोलो0 अधिनियम के प्रावधान न लागू होते हुए अपीलाधीन

निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय करते हुए कानून का विवेचन व विश्लेषण भी नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। पक्षकारान की सहमति से खाता विभाजन किया गया है यदि अपीलांट की भूमि मे से 4 बिस्वा रास्ता मंजूर रहता है तो बंटवारा के विपरीत अपीलांट की 4 बिस्वा भूमि कम होती है। इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है। बहस के अन्त मे अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2014 पेज 74, आरआरडी 1993 पेज 239 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व अपीलांट व रेस्पो. के पिता भादरराम के नाम दर्ज थी। पिता के जीवित रहते अपीलांट व रेस्पो0 को घरू तौर पर कृषि भूमि कब्जा काश्त मे दे दी। रेस्पो0 को अपनी भूमि आने जाने के लिए रास्ता मात्र अपीलांट की भूमि मे है जो कई वर्षो से चालू है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है व न ही कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इसलिए रेस्पो0 द्वारा रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रास्ता आवश्यकता को देखते हुए रास्ता स्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो सही एवं विधि सम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1993 पेज 298 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्थान कोलोनाईजेशन विभाग की जमाबंदी चक 22 एसटीजी, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 22 एसटीजी अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8 (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत रिकार्ड से साबित होता है कि प्रश्नगत रास्ता जिस भूमि मे स्वीकृत किया गया है वह भूमि मौरूसी भूमि है जिसमे राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम/नियमो के प्रावधान लागू नही होने के कारण राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8 (2) के प्रावधानो के तहत रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए प्रचलन मे नही थी। उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि से भिन्न खातेदारी भूमियों के लिए रास्ता हेतु वर्ष 2012 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मे खातेदारो को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु अन्य खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिये जाने के प्रावधान किये गये है जो वर्तमान मे प्रचलित एवं प्रभावी है। इसलिए प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं इसके अन्तर्गत निर्मित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रास्ता संबंधी निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण मे रास्ता की भूमि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 शर्त 8(2) के प्रावधानो के अन्तर्गत शामिल एवं प्रभावित नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है

जिसकी पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत रास्ता स्वीकृति हेतु मुआवजा संबंधी निर्धारण करते हुए नियमानुसार रास्ता के आवेदन का 2 माह मे निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़